संचिका सं0—7/बजट—46—31/2024—25 - 485 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:— **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक— 07/03/2025

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य में कार्यरत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों (जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक) के सुदृढ़ीकरण एवं निगरानी हेतु नये CCTV Camera के अधिष्ठापन, पूर्व में अधिष्ठापित CCTV के AMC एवं इन्हें Display device से Connect किये जाने संबंधी कार्यों हेतु अनुमानित व्यय कुल रू० 20,00,00,000/— (रुपये बीस करोड़) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में रू० 2,00,00,000/—(रूपये दो करोड़) मात्र के व्यय की स्वींकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि राज्य में कार्यरत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानो (जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक) के सुदृढीकरण एवं स्वास्थ्य संस्थानों मे आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य संस्थानो का लगातार निगरानी एवं अनुश्रवण करना अत्यन्त ही आवश्यक है। उक्त हेतु राज्य मे कार्यरत सभी स्वास्थ्य संस्थानों मे CCTV Camera लगाने जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त CCTV Camera लगाये जाने से स्वास्थ्य संस्थानो मे दी जा रही सेवायें एवं हो रही गतिविधियो का राज्य स्तर/जिला स्तर से Real-time अनुश्रवण एवं गुणात्मक सुधार हेतु निर्णय लिया जा सकेगा।

2- मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर BHAVYA (Hospital Information Management System) को लागू करते हुए OPD Registration, Vitals, OPD On-line Consultancy, Drug/Radiology/ Pathology Recommendation, Drug Distribution, IPD इत्यादि सेवाओं को Digitize किया गया है, जिसका CCTV के माध्यम से राज्य/ प्रमंडल/जिला/स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा लगातार निगरानी कर आवश्यक गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा । साथ ही, स्वास्थ्य संस्थान के विभिन्न विभागों मे कार्यरत चिकित्सकों/कर्मियो की उपस्थिति के साथ ही साथ स्वास्थ्य संस्थानो मे आने वाले मरीजों की सुविधा की सुदृढ निगरानी की जायेगी। उक्त कार्य को निष्पादित करने हेतु संस्थानवार कुल CCTV की संख्या निम्नवत् होगी —

Sl.No.	Type of Health Institution	Estimated No. of Camera in Each Health Facility	No. of Health Facilities	Total No. of Camera
1	District Hospital	48	36	1,728
2	Sub. Divisional Hospital	40	54	2,160
3	Community Health Centre, Referral Hospital & Primary Health Centre	32	601	19,232
	Total-		691	23,120

D:\Lalu pd\Rajyadesh\2024-25\CCTV CAMERA.doc

3– राज्य के कतिपय सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों मे पूर्व से लगभग 1,170 CCTV Camera लगाये गये है, जिसका AMC कराये जाने एवं इसे Display device से Connect किये जाने की आवश्यकता है। इन सभी कार्यो पर कुल अनुमानित व्यय रू० 20,00,00,000/–मात्र का आकलन किया गया है। वास्तिवक व्यय का निर्धारण BSEDC Ltd. पटना के माध्यम से प्राप्त आकलन के आधार पर किया जायेगा।

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना का पत्रांक–5169, दिनांक–26.12.2024 के द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य में कार्यरत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों (जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक) के सुदृढीकरण एव निगरानी हेतु नये CCTV Camera के अधिष्ठापन, पूर्व मे अधिष्ठापित CCTV के AMC एव इन्हे Display device से Connect किये जाने संबंधी कार्यो हेतु अनुमानित व्यय कुल रू० 20,00,00,000/– (रुपये बीस करोड) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–424(7), दिनांक–17.02.2025 द्वारा प्रदान की गयी है।

5– तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 मे राज्य में कार्यरत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानो (जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक) के सुदृढीकरण एवं निगरानी हेतु नये CCTV Camera के अधिष्ठापन, पूर्व में अधिष्ठापित CCTV के AMC एवं इन्हे Display device से Connect किये जाने संबधी कार्यो हेतु अनुमानित व्यय कुल रू० 20,00,00,000/– (रुपये बीस करोड़) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष मे रू० 2,00,00,000/–(रूपये दो करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6– उक्त कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स०–424(7), दिनांक–17.02.2025 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

7– यह कार्य मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0128–स्वास्थ्य केन्द्रो का जीर्णोद्धार–सात निश्चय–2, विपत्र कोड– 20–2210011100128 के अतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 मे विषय शीर्ष 52 मशीने एव उपस्कर 0128 52 01 मशीने एवं उपस्कर कार्यालय मद अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा ।

8– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0– PBBPLA011 विपत्र कोड–00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID--------------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

10– राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना इस राशि का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) एवं व्यय के सुसगत भावचर्स/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेगे ।

11– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 3758/वि०, दिनाक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनाक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

D:\Lalu pd\Rajyadesh\2024-25\CCTV CAMERA.doc

12— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

13— प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14— प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0—7/बजट—46—31/2024—25 के पृष्ठ—14/टि0 पर प्राप्त है।

15— यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

16— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

7/3/25

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:— 485 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक— 07/03/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाऐं एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी प्रभारी पदाधिकारी जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल एव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7/3/25

सरकार के अपर सचिव

D:\Lalu pd\Rajyadesh\2024-25\CCTV CAMERA.doc